दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेशः- 1202 **दिनांक:** 30/12/2022

अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर **श्री सुनील सुपुत्र श्री भानुप्रताप,** कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (वरियता सं. 2905) को सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना के लेवल 7 **(₹44,900 - 1,42,400/-)** में (जो कि छठे वेतन आयोग के पे-बैंड ₹9300-34800/- में ₹4600/- ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं। **ये आदेश दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होंगे।**

2. यदि उपरोक्त अधिकारी को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत ₹9300-34800/- के वेतनमान में ₹4600/- के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल-7 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी । परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल-7 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(I)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(I)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं ।

3. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें **मुख्य अभियंता (उत्तरी-क्षेत्र)** को रिपोर्ट करने का आदेश किया है।

4. यदि उपरोक्त अधिकारी ने नियुक्ति की शर्तो तथा समय-समय पर जारी परिपत्रो के पशचात भी विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नही की हो तो वे सहायक अभियंता (सिविल) पद की वार्षिक वेतन वृद्धि को तब तक नहीं ले सकते जब तक यह परीक्षा उत्तीर्ण ना हो जाए ।

5. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है । उनकी पदोन्नति उनके नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगें।

(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

सं.एफ.10(58)2022/सी.सी./ 1032 **दिनांकः-** 30/12/2022

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक) / (उद्धान), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. मुख्य अभियंता (सिविल) - मुख्यालय/ क्यू.ए.सी., उत्तरी-क्षेत्र, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
6. अधिशासी अभियंता (सिविल) - एन.एम.डी.-5 / उत्तरी क्षेत्र, दि.वि.प्रा.|
7. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता-1 एवं 2, पी.एम.-उदय - 1 एवं 2, दि.वि.प्रा.।
8. उप निदेशक - (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता(प्रशा.) / पी.एम.-उदय (मुख्यालय)- 1 एवं 2 / आरक्षण कक्ष / आर.टी.आई. कक्ष, दि.वि.प्रा. ।
9. उप निदेशक (पी.एम.आई.एस.), दि.वि.प्रा. आदेश को डीडीए की वेबसाइट पर डालने हेतु।
10. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / पी.एम.आई.एस. / गोपनीय कक्ष - 2, दि.वि.प्रा. ।
11. लेखाधिकारी (संस्था.) अराजपत्रित / सम्बंदित सी.ऐ.यू., दि.वि.प्रा. ।
12. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
13. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।

30/12/22
(रोहित माथुर)
सहायक निदेशक(गोपनीय शाखा)